संख्या-31 /2018/ 2143/46-3-18-3(22)/2018

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त/निबन्धक (नाम से),

सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियाँ,

उ.प्र., लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक : 13 दिसम्बर, 2018

विषयः- प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा गन्ना आपूर्ति हेतु पर्ची निर्गमन स्वयं अथवा किसी उत्कृष्ट एजेंसी से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके स्तर से निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-07/सी/82/समिति, दिनांक 02 मई, 2018 के द्वारा प्रसारित निर्देशों एवं तद्क्रम में शासन स्तर से भी आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की अपेक्षा विषयक अपने पत्र संख्या-119/समिति, दिनांक 07 दिसम्बर, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि गन्ना विभाग के अधीन संचालित सहकारी गन्ना विकास समितियां, गन्ना किसानों की एक स्ववित्त पोषित, स्वशासी पंजीकृत संस्था हैं और गन्ना उत्पादक कृषक इनके सदस्य होते हैं तथा इन समितियों के माध्यम से ही गन्ना कृषक, चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करते हैं। सहकारी गन्ना विकास समितियों का मुख्य कार्य सदस्य गन्ना कृषकों को गन्ने की खेती के प्रति प्रेरित करने एवं उनके द्वारा उत्पादित गन्ने को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुरूप आपूर्ति कराते हुए गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराना है। यद्यपि पेराई सत्र के दौरान गन्ना किसानों को गन्ना तौल पर्ची उपलब्ध कराने व कैलेण्डर के निर्धारण सहित चीनी मिलों को गन्ने की आपूर्ति समिति के माध्यम से कराये जाने का कार्य एवं दायित्व, सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों/चीनी मिलों समितियों का है, तथापि गन्ना आयुक्त के स्तर से वर्तमान पेराई सत्र 2018-19 में गन्ना कृषकों के पर्चियों का निर्गमन व कैलेण्डर के अनुसार गन्ना पर्ची की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने हेतु यह निर्देश निर्गत किये गये हैं कि वर्तमान पेराई सत्र हेतु, जिन गन्ना समितियों के पास पर्ची निर्गमन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, वे स्वयं एवं जिन गन्ना समितियों के पास पर्ची निर्गमन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ आउटसोर्स उत्कृष्ट एजेन्सी के माध्यम से पर्ची निर्गमन का कार्य कराया जाये। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के साथ ही साथ इसका नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

3- अतः इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत लिये गये निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान पेराई सत्र 2018-19 एवं आगामी/प्रत्येक पेराई सत्र के दौरान, सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों के द्वारा, समिति के माध्यम से चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति किये जाने हेतु, कैलेण्डर निर्धारित करते हुए समय से कृषकों को गन्ना तौल पर्ची उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा साथ ही इसकी नियमित अनुश्रवण व समीक्षा भी की जाये। तद्क्रम में अधोलिखित व्यवस्था से अवगत कराते हुए, तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश शासन स्तर से दिये जाते हैं:-

(1) गन्ना विभाग के अधीन संचालित सहकारी गन्ना विकास समितियां, गन्ना किसानों की एक स्ववित्त पोषित, स्वशासीपंजीकृत संस्था हैं और गन्ना उत्पादक कृषक इनके सदस्य होते हैं तथा इन समितियों के माध्यम से ही गन्ना कृषक, चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करते हैं। सहकारी गन्ना विकास समितियों का मुख्य कार्य सदस्य गन्ना कृषकों को गन्ने की खेती के प्रति प्रेरित करने एवं उनके द्वारा उत्पादित गन्ने को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुरूप आपूर्ति कराते हुए गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित कराना है।

(2) उत्तर प्रदेश गन्ना खरीद एवं पूर्ति विनियमन, अधिनियम, 1953 की धारा-16(2) (बी) एवं तदर्थ नियमावली, 1954 के नियम-57, उ.प्र. गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 के नियम-5 (1)(2)(3)व(7) में भी व्यवस्था प्राविधानित है, जिनका उल्लेख सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्नवत् किया जा रहा है:-

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-16(2)(बी) में निम्नानुसार व्यवस्था प्राविधानित है:

"16(2)(b) The manner in which cane grown in the reserved area of the assigned area, shall be purchased by the factory or which the area has been so reserved or assigned and circumstances in which the cane grow by a cane grower shall not be purchased except through a Cane Growers' Cooperative Society."

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम 57 में निम्नानुसार व्यवस्था प्राविधानित है:

"57. All arrangements in connection with the sowing in and supply of cane by Cane-growers' Co-operative Societies shall be in accordance with such general or special instructions as may be issued by the Cane Commissioner from time to time."

उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 के नियम 5 (1), (2), (3) व (7) में निम्नानुसार व्यवस्था प्राविधानित है:

"5. General provisions regarding purchase of cane- (1) Cane grown in the reserved or assigned area of a factory shall not except with the permission of the Cane Commissioner be purchased by the person without the previous issue, at convenient centers' in the said area of requisition slip and identification cards to the grower by the occupier of the factory.

(2) Notwithstanding anything in sub-clause (1) requisition slips and identification cards to member of cane-growers' Co-operative society shall not be issued except by such society.

(3) An occupier of a factory or Cane –growers Co-operative Society shall maintain a record of the identification card issued and a daily account of the requisition slip issued to the growers' and returned by them.

(7) No person shall transfer or abet the transfer of a requisition slip or the cane growerto any other person, with the object of enabling cane other than that belonging to the grower for whom the requisition slip has been issued, to be sold to a factory."

सहकारी गन्ना विकास समितियों की प्रतिमान उपविधि के उपविधि संख्याः 4(2) एवं 125, 126 में निम्नानुसार व्यवस्था प्राविधानित है:

4(2) सदस्यों के गन्ने की उपज का लाभजनक मूल्य पर क्रय-विक्रय कराना तथा शीघ्रतया चीनी मिलों को पूर्ति कराने का प्रबनध करना एवं तुरन्त उसका मूल्य चुकवाना।

125. समिति विभागीय आदेशानुसार सितम्बर या अक्टूबर में प्रत्येक सदस्य के गन्ने की उपज का तथा चीनी मिल को दिये जाने वाले कुल गन्ने की मात्रा का अनुमान बनायेगी और इसी प्रकार सदस्यों ताकि गन्ना पूर्ति अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत गन्ना आयुक्त द्वारा अधिकारिक चीनी मिलों से सट्टा कर लेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

126. गन्ने की पूर्ति, विभागीय निर्देशों के अधीन रहते हुए, पूरा गन्ना पेरने के समय पर समानता से परिपक्वता के आधार पर इस भाँति फैलायी जायेगी कि चीनी मिल और गन्ना उत्पादकों दोनों का हित रहे।

(3) उपर्युक्तानुसार उल्लिखित प्रावधानों से स्वतः स्पष्ट है कि, सहकारी गन्ना विकास समितियों के सदस्य गन्ना कृषकों के गन्ने की आपूर्ति चीनी मिलों को कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित सहकारी गन्ना समितियों की ही है, जिसके लिए चीनी मिलों की गन्ने की आवश्यकता के दृष्टिगत गन्ना आपूर्ति हेतु कृषकों का बेसिक कोटा निर्धारण, सट्टा आगणन, आपूर्ति संसाधन के अनुसार पर्चियों का निर्धारण, कैलेण्डरिंग आदि करते हुए पर्ची निर्गमन का विधिक दायित्व गन्ना समितियों का ही है

(4) उपर्युक्त उल्लिखित समस्त तथ्यों के सम्यक परीक्षणोपरान्त, गन्ना आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्गत किये गये परिपत्र संख्याः 958/सी/समिति दिनांक 01.02.2018 के अनुक्रम में एवं पर्ची निर्गमन के सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त कार्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत सभी आदेशों/परिपत्रों को अवक्रमित करते हुए, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/ निबन्धक, सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उत्तर प्रदेश के द्वारा, उ.प्र. गन्ना खरीद एवं पूर्ति विनियमन, अधिनियम, 1953 की धाराः 16(2) (बी) एवं तदर्थ नियमावली, 1954 के नियम-57, उ.प्र. गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश, 1954 के नियम-5 (1)(2)(3)व(7) एवं प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों की प्रतिमान उपविधि के उपविधि संख्याः 4(2) एवं 125, 126 में प्रदत्त शक्तियों/अधिकारों का प्रयोग करते हुए, प्रदेश की सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों के सदस्य कृषकों की गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित पर्ची निर्गमन का कार्य समितियों के माध्यम से सम्पादित किये जाने के आदेश (दिनांक 02 मई, 2018) को पारित किया गया है।

(5) इसी परिप्रेक्ष्य में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक, सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उत्तर प्रदेश के स्तर से यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि पेराई सत्र 2018-19 हेतु जिन गन्ना समितियों के पास पर्ची निर्गमन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, वे स्वयं एवं जिन गन्ना समितियों के पास पर्ची निर्गमन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वे आउटसोर्स उत्कृष्ट एजेन्सी के माध्यम से पर्ची निर्गमन का कार्य आगामी पेराई सत्र 2018-19 से नियमानुसार सम्पादित करायेंगी। उक्त कार्य के सफल सम्पादन हेतु गन्ना सर्वेक्षण वास्ते पेराई सत्र 2018-19 के प्रारम्भ से ही गन्ना सर्वेक्षण से सम्बन्धित समस्त डाटा/आंकड़े व आवश्यक अभिलेख गन्ना समिति अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगी, जिसके आधार पर पूर्ण पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार रहित पर्ची निर्गमन की व्यवस्था सम्पन्न हो सके। आर्थिक रूप से कमजोर गन्ना समितियों के पर्ची निष्कासन से सम्बन्धित व्यवस्था पूल व्यवस्था के आधार पर सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी कार्यालय में सम्पादित की जायेगी। इसी क्रम में सम्बन्धित चीनी मिलों को निर्देशित किया जाता है कि, उनके द्वारा उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं जिला गन्ना अधिकारियों को समुचित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

(6) उपरोक्त निर्देश वर्तमान पेराई सत्र 2018-19 के संदर्भ में जारी किये गये हैं, जो आगामी पेराई सत्रों के संबंध में भी लागू रहेंगे, जबतक कोई अन्यथा आदेश/निर्देश, आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र./निबन्धक सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या शासन स्तर से निर्गत न कर दिये जायें।

कृपया प्रदेश में गन्ना विभाग के अधीन संचालित समस्त सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों के स्तर से गन्ना आपूर्ति हेतु पर्ची निर्गमन के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही एवं इसकी नियमित समीक्षा/अनुश्रवण भी किया जाना सुनिश्चित किया जाय, जिससे कि गन्ना कृषकों को गन्ना पर्ची प्राप्त होने एवं चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति किये जाने में कोई समस्या न होवे।

भवदीय

संजय आर. भूसरेड्डी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-31/ 2018/2143(1)/46-3-18-3(22)/2018 , तद्दिनांकित

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (गन्ना उत्पादक जिले)।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि., लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी गन्ना समिति संघ लि., लखनऊ।
5. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/उप निबन्धक, सहकारी गन्ना विकास/चीनी मिल समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/सहायक निबन्धक (गन्ना/चीनी मिल समितियाँ), उत्तर प्रदेश।
7. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियाँ, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त सचिव/प्रधान प्रबन्धक, चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश।
9. महासचिव, यू.पी. शुगर मिल एसोसियेशन, 403, चिन्टल्स हाऊस, 16, स्टेशन रोड, लखनऊ।
10. चीनी उद्योग अनुभाग-1/2, उ.प्र. शासन।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार मिश्र
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।